चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 07.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार व मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 07.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 644/020 धारा 411,413,467,468 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. छोटा तिवारी उर्फ लाला तिवारी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र भागवत प्रसाद निवासी रेउना कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा 2. हीरामनी उर्फ गंगा केवट पुत्र भागीरथ निवासी गोकुलपुरी चितरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 06.12.020 को वादी तत्कालीन निरीक्षक श्री रामाश्रय यादव द्वारा चोरी कर चोरी के समान का व्यापार करने वाले अभियुक्त 1. छोटा तिवारी उर्फ लाला तिवारी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र भागवत प्रसाद निवासी रेउना कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा 2. हीरामनी उर्फ गंगा केवट पुत्र भागीरथ निवासी गोकुलपुरी चितरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतावाली कर्वी में मु0अ0सं0 644/020 धारा 411,413,467,468 भादवि0 पंजाकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 दिनेश कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 06.12.020 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनाँक 01.03.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्दशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊ पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री शाहनवाज खां थाना मऊ जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी शुभम्र त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त शिवभोला पुत्र बंगाली उम्र 35 वर्ष निवासी ताडी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 हरीशंकर राम थाना मऊ जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी राकेश कुमार, महिला आरक्षी पल्लवी के द्वारा अभियुक्ता कौशल्या देवी पत्नी सडकू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम ताडी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i).उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह थाना मऊ जनपद चित्रकूट मय हमराह मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार द्वारा मु0अ0स0 02/18 धारा 354,504,506 भा0द0वि0 के वारण्टी अभियुक्त बबलू केवट पुत्र रामअधार निवासी कटैयाखादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट मय हमराही राहुल पुरी द्वारा मु0अ0स0 12/2025 धारा 326(जी), 352, 351(2) बीएनएस के आरोपी अभियुक्त नीरज उर्फ पप्पी हरिजन पुत्र स्व0 मेढवा निवासी ममसी बुजुर्ग थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 07.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 890/2017 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र बाबू खां निवासी बरूई मजरा पहरा चौकी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 07.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 268/2015 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त जग्गू पुत्र बृजलाल यादव निवासी विदरपुरवा गोंडा कोतवाली कर्वी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1900/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।